न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

(1)अपील सं. 56/2014

1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारासिंह
2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह
3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह

अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. भंवरसिंह
2. गगासिंह

पिसरान विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

3. हेतराम पुत्र सुरजाराम —मृतक

3/1अन्नीदेवी पत्नी हेतराम
3/2 मदनलाल पुत्र हेतराम

जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. हनुमान पुत्र सहीराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. महावीर
6. ओमप्रकाश
7. आत्माराम

पिसरान हेतराम पुत्र सैदाराम जाति बिश्नोई निवासीगण अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

8. मंजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।

—रेस्पोडेन्टान

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

(2) अपील संख्या 11/2015

हनुमान पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी माणकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारासिंह } अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा जाटान
2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह } तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह }
4. भंवरसिंह } पिसरान विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान
5. गंगासिंह } तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. हेतराम पुत्र सुरजाराम –मृतक
   6/1अन्नीदेवी पत्नी हेतराम } जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील
   6/2 मदनलाल पुत्र हेतराम } सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. महावीर } पिसरान हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण अमरपुरा
8. ओमप्रकाश } जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. आत्माराम }
10. मंजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
11. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
13. उप–पंजीयक सूरतगढ

–रेस्पोंडेन्टान

(3) अपील संख्या 25/2015

1. महावीर } पिसरान हेतराम जाति बिश्नोई निवासीगण माणकसर
2. ओमप्रकाश } तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

1. 1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारासिंह
2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह
3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह

} अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. भंवरसिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. गंगासिंह पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. हेतराम पुत्र सुरजाराम –मृतक

6/1अन्नीदेवी पत्नी हेतराम
6/2 मदनलाल पुत्र हेतराम

} जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

7. हनुमान पुत्र सहीराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
8. आत्माराम पुत्र हेतराम जाति बिश्नोई निवासी मानकसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
9. मंजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
10. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
12. उप–पंजीयक सूरतगढ

–रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 19.05.2014

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितः–

श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक हनुमान आदि की ओर से

श्री अशोक छाबड़ा अभिभाषक गुरसेव सिंह आदि की ओर से

श्री धर्मपाल सिहाग अभिभाषक महावीर आदि की ओर से

निर्णय दिनांक 28.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया सुरजीत कौर ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ के समक्ष राज.काश्त.अधि.की धारा 88, 188, 209 का पेश कर वाद पत्र के अनुतोष की मद सं. क, ख, ग, घ, ड., च , छ के अनुसार वाद डिक्री करने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 9 व 10 ने जबाब दावा पेश कर दावा खारिज करने का निवेदन किया।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर अधी. न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित 13 वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 19.05.2014 को वादीया का वाद स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध उपरोक्त तीनों अपीलें पेश की। तीनों ही अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने से उभयपक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से तीनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

तीनों ही अपीलों में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपील में चाहे गये अनुतोष अनुसार अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया एवं रेस्पों. अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश को सही बताया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील संख्या 11/2015 हनुमान बनाम गुरसेव सिंह, अपील संख्या 56/2014 गुरसेवसिंह बनाम भंवरसिंह व अपील संख्या 25/2015 महावीर आदि बनाम गुरसेवसिंह एक ही निर्णय द्वारा उपखंड अधिकारी सूरतगढ़ दिनांक 19.05.2014 के विरूद्ध पेश की है जो एक दूसरे के पूरक एवं एक ही विवाद से

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

सम्बन्धित होकर एक साथ निर्णय किया जाता है, जिसमें अपील संख्या 11/2015 में अपीलांट ने तनकियात गलत ढग से विवेचित होने की वजहर से अधी. न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। वही अपील संख्या 56/2014 में अपीलांट द्वारा दावा आंशिक डिकी के बजाय पूर्णरूपेण डिकी का अनुतोष चाह कर अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है। अपील संख्या 25/2015 में अपीलांट द्वारा दावे के आंशिक स्वीकार में जो आराजी अपील संख्या 11/2015 के अपीलांट को जो आराजी अपीलांट दी है वह उसकी होना बताकर दावा निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जो प्रकरण सं. 152/2007 सुरजीतकौर बनाम भंवरसिंह निर्णय दिनांक 19.05.2014 से तीनों ही अपीलांट पीड़ित होकर अपीले दायरकी है। तीनों ही अपीलों का सार यह है कि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम अमरपुरा जाटान की ख0न0 168 की 208.14 बीघा भूमि में से 164 बीघा भूमि को चक प्लान में परिवर्तित किये जाने पर वादिया सुरजीतकौर की इस खसरे में 12 बीघा भूमि जो कय की हुई है वह गलत Fit की होना जाहिर किया जो दावे के अनुसार Fit करने का अनुतोष चाहा। दावे में कुल 12 तनकियात कायम हुई जिसमें वादिया की कय शुदा भूमि की वह खातेदार है स्वतः ही प्रमाणित है दूसरी तनकी ख0न0 168 की 208.14 बीघा में से 164 बीघा जमीन चक प्लान में तब्दील हुई रेकार्ड से साबित है। विवाद का मूल बिन्दु तनकी संख्या 3 व 4 है जिसके विवेचन का मूल आधार वादिया के शपथ पत्र है जबकि अधी0 न्यायालय की पत्रावली पर पेश फार्म नं. 3 के साथ पेश राजस्व रेकार्ड की छाया प्रतियों में ग्राम अमरपुरा जाटान के ख0न0 168 की सर्वेसीट, अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 31 से 40 सूची नम्बर 4की छाया प्रतियां अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ स0 53 से 55 ग्राम अमरपुरा का प्लान का 12 एलएसडी में तब्दील compare register की छाया प्रतियां, सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य दावे में तनकी संख्या 3 व 4 के विवेचन का आधार होना चाहिए था, जिस पर न तो प्रदर्श डाले है न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

परिक्षित हुए जिनका गहनता से अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि सर्वे कार्यवाही सही हुई है तथा अधी.न्यायालय के तनकियात गलत निर्णित की है जो सरजीतकौर के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 5 से 10 में सिर्फ एक तनकी सं. 5 का विनिश्चय वादिया के पक्ष में शपथ पत्र आधार पर निर्णित की है यह तनकी वादिया के पक्ष में निर्णित की है। अतः तनकी 6 से 10 वादिया के पक्ष में निर्णित होना निर्णय में दर्शाया है जबकि सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 14 नियम 2 के प्रावधानुसार सभी Issues का विवेचन अपेक्षित है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करने से निर्णय में विधिक नुक्स है। इस सम्बन्ध में पत्रावली के पृष्ठ संख्या 88 पर जो मुरब्बे बंदी की तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध है जिसका सन्दर्भ भाग स्पष्ट करता है कि

1. राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–I) विभाग कमांक प.13 (14)राज.1/02 दिनांक 27.05.2003 से जारी अधिसूचना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 107 के तहत तहसील सूरतगढ के इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के 43 ग्रामों के मौके के अनुरूप मु.नं. व कि.नं. में परिवर्तन किये जाने के लिये अधिसूचना जारी की गई थी।
2. राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 27.05.2003 द्वारा चक बंदी कार्य के लिये मौके के अनुरूप मु.नं. कि.नं. में रिकार्ड परिवर्तन करने के लिए उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को अपर भू– अभिलेख अधिकारी व तहसीलदार सूरतगढ को सहायक भू–अभिलेख अधिकारी नियुक्त किये गये हैं।
3. उपरोक्त अधिसूचना के अनुसरण में चकबन्दी/मुरब्बाबन्दी करने हेतु जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के पत्र कमांक:एफ 9(1)(1) मू.अ./ रिकार्ड / 91 /2919 दिनांक 05.08.2003 को आदेश प्रेषित किये गये।
4. मुरब्बाबन्दी का कार्य विभाग द्वारा पूर्व में समय–समय पर निर्देशों अनुसार किया गया है। इसमें आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर का पत्र कमांक: एफ5(ई)(64) उपनि /83/7817 दिनांक 15.09.1998 व भू प्रबन्ध आयुक्त जयपुर का पत्र कमांक भू.

28/1/11

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

प्रआ./रा.मु./भू.कर/11/8/1/85 पार्ट II/70 दिनांक 02.01.1998 शामिल है।

5. चकबन्दी की इस प्रकिया में सर्वप्रथम राजस्व रिकार्ड से सूची नं. 4 तैयार की गई है। उसके बाद मौका देखा जाकर कब्जा अनुसार रिकार्ड एवं सर्वे हिदायतों के अनुसार पर्चा खतौनी तैयार की जाकर एक पर्चा खतौनी सम्बन्धित काश्तकार को दी जाकर एतराज सुनवाई का समय दिया गया। जिन–जिन काश्तकारों द्वारा लिखित में एतराज प्रस्तुत किये गये उन प्रकरणों में सहायक भू.अ. अधिकारी द्वारा मौके पर सुनवाई की जाकर निस्तारण किया गया तथा जिन–जिन काश्तकारों का एतराज रिकार्ड अनुसार उचित नहीं था के एतराज अपर भू.अ. अधिकारी को प्रेषित किये गये। अपर भू.अ.अधिकारी द्वारा ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण किया गया। तत्पश्चात जमाबन्दी का लेखन किया गया।

6. वर्तमान में 18 चकों/ दो ग्रामों की जमाबन्दी की जांच के बाद स.भू.अ. अधिकारी द्वारा अन्तिम प्रमाणित की जा चुकी है जिस पर अपर भू.अ.अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर भी हो चुके हैं।

7. उक्त ग्रामों की चकबन्दी का कार्य पूरा होने पर विधिवत राजपत्र में प्रकाशित करने बाबत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर को श्रीमान अपर भू.अ. अधिकारी के पत्र कमांक आवंटन/07/273 दिनांक 09.03.2007 से प्रेषित कर दिया है। श्रीमन जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के पत्र कमांक सन/1773–74 दिनांक 22.03.2007 से राज्य सरकार को भी अधिसूचना जारी करने हेतु निवेदन कर दिया गया है।

इस प्रकिया से जो सर्वे कार्य सम्पन्न हुआ है उसे मौखिक साक्ष्य के आधार पर तनकियात विनिश्चिय करना उचित नहीं है। अतः चक प्लान सही होना साबित होकर तनकी संख्या 5 से 10 सरजीतकौर के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 11 अधी. न्यायालय द्वारा विवेचित नहीं की है तथा तनकी संख्या 12 का विवेचन प्रतिवादी हनुमान के विरूद्ध निर्णित की है। निर्णय का

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आधार कोई साक्ष्य पेश नहीं करना दर्शाया है जबकि अधी.न्यायालय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 124 पर अति. कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को भेजी जांच रिपोर्ट दिनांक 12.03.2007 संदर्भित है जिसमें अति.कलक्टर सूरतगढ़ द्वारा वादिया के पति की उपस्थिति में विवादित भूमि का मौका देखा जिसमें तथ्यों का विवेचन निम्नानुसार किया है कि खरीदशुदा भूमि को चक 12 एसएलडी प.नं. 64/387 कि.नं. 3, 4, 5, 8 फिट की गई है वह गलत है जबकि उसे इसी चक के प.नं. 65/387 कि.नं. 3, 8, 13 ,14 फिट किये जावे। शिकायतकर्ता ने मु.नं. 65/387 कि.नं. 3, 8, 13, 14 पर अपना कब्जा होना बताया है। परन्तु मौका पर उपस्थित अन्य पड़ौसियों भंवरसिंह, गंगासिंह, हनुमान का कथन है कि यह भूमि पूर्व में रामनिवास के परदादा के नाम थी जिसे गत वर्ष ही रामनिवास ने शिकायतकर्ता को दी थी। शिकायतकर्ता ने मु.नं. 64/387 कि.नं. 3, 4, 5, 8 की 4 बीघा पर हेतुराम का कब्जा होना बताया है जबकि मौका पर उपस्थित हनुमान, भंवरसिंह , गंगासिंह व अन्य लोगों ने बताया कि यह भूमि पूर्व में शिकायतकर्ता की ही थी। यह भूमि शिकायतकर्ता ने एक साल पूर्व ही हेतराम को दी थी। हेतराम का कथन है कि यह भूमि मेरे पास पहले से ही थी। अतः मौके पर अन्य व्यक्तियों के कथनानुसार शिकायतकर्ता को कि.नं. 3, 4, 5, 8 की फिटिंग सही की गई है। मौका पर उपस्थित शिकायतकर्ता की भूमि बेचानकर्ता भंवरसिंह, गंगासिंह ने बताया कि हमने शिकायतकर्ता को जो भूमि जरिये रजिस्ट्री बेची थी उसका रजिस्ट्री में पूरा हवाला है, उसी अनुसार कब्जा दिया गया। शिकायतकर्ता ने मौका पर काश्त की गई भूमि के पास ही मिटटी निकालकर डाल रखी है। बेचानकर्ता ने उक्त टिब्बों की भूमि को ही शिकायतकर्ता को बेचान करना बताया है जबकि शिकायतकर्ता ने बताया कि उनको यह भूमि नहीं बेचकर वर्तमान में कब्जाशुदा भूमि के दक्षिण दिशा में लगती भूमि बेची है। इस प्रकार स्पष्ट है कि केता(शिकायतकर्ता) मौका पर जिस भूमि को कय करना बताता है। विकेता उक्त तथ्य से सहमत नहीं है।

28/11/12

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 11 व 12 अपील संख्या 11/2015 के अपीलांट हनुमान के पक्ष में निर्णित की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन, कायम तनकियात के इस न्यायालय के विवेचन, उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि तहसील सूरतगढ़ के ग्राम अमरपुरा जाटान की चकबंदी विभागीय परिपत्र कमांक प.6(33)राज/87 दिनांक 20.11.1987, भू–प्रबन्ध विभाग के परिपत्र कमांक भू.अ./रा.म/भू.कर/ 11/ 8 / 1/85 पार्ट II जयपुर दिनांक 9.01.98, उपनिवेशन क्षेत्र घोषित होने पर रेकार्ड संधारण के लिए जारी आदेश कमांक एफ–5/इ/64उपनिवेशन/83/7817 दिनांक 15.04.98 व सर्वे हिदायत कमांक/एफ–6/रा.मु.सर्वे/98वी में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम अमरपुरा जाटान के ख.न. 168 में 12 बीघा भूमि चक 12 एसएलडी में प.नं. 64/387 में कि.न. 1 से 5, 8 से 10 की 8 बीघा एवं प.न. 65/387 में कि.न. 4 से 7 की 4 बीघा कुल 12 बीघा भूमि की फिटिंग सही होना प्रमाणित होने एवं अधी.न्यायालय द्वारा जो दावा डिकी कर उपरोक्त में परिवर्तन किया है वह अपास्त योग्य होकर अपील संख्या 11/2015 उनवान हनुमान बनाम गुरसेवसिंह व अपील संख्या 25/2015 महावीर आदि बनाम गुरसेवसिंह स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2014 अपास्त किया जाता है एवं अपील संख्या 56/2014 गुरसेवसिंह बनाम भंवरसिंह आदि अस्वीकार की जाती है तथा चकबंदी होना विधि अनुसार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर

डिकी व सीगे अपील

(ऑ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. गुरसेवसिंह पुत्र प्यारासिंह
2. बलजीतसिंह पुत्र गुरसेवसिंह
3. गगनदीपकौर पुत्री गुरसेवसिंह

} अकवाम जटसिख निवासीगण अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. भंवरसिंह
2. गंगासिंह

} पिसरान विजयसिंह जाति राजपूत निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

3. हेतराम पुत्र सुरजाराम —मृतक

3/1अन्नीदेवी पत्नी हेतराम
3/2 मदनलाल पुत्र हेतराम

} जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. हनुमान पुत्र सहीराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

5. महावीर
6. ओमप्रकाश
7. आत्माराम

} पिसरान हेतराम पुत्र सैदाराम जाति बिश्नोई निवासीगण अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

8. मंजू पत्नी गोपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
9. चन्द्रकला पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर ।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़।

—रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 56/2014 व नाराजगी डिकी अदालत उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ निर्णय दिनांक 19.05.2014

दावा बाबत

28/4/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

यह अपील व तारीख 28 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री अशोक छाबडा अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री शिशपाल शर्मा अभिभाषक रेस्पों. सं. 4 से 6 समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग...X....) रूपये...X... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ...X... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 28.11.2017 को जारी किया गया।

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर